21.04.25 पत्रावली पेश। प्रार्थिगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 से 4 बाद तामिल अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एकपक्षीय बहस कर आदेशिका दिनांक 10.10.24 में किये कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मौजा सरनाऊ तहसील सांचौर के खसरा नम्बर 529 [illegible] 5 हेक्टेयर में हम प्रार्थीगण व प्रार्थिगण [illegible] खातेदार है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त आराजी में हम प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त व मालिकाना हक हकूक निहित है। वादग्रस्त भूमी का राजस्व रेकर्ड व मौके पर विधिवत बंटवाड़ा नहीं होता तब तक उक्त वादग्रस्त आराजी का फैसला मूल वाद तक अप्रार्थीगण किसी तरह का कोई बेचान, रहन, निर्माण आदी नहीं करे, ना ही किसी से करावे की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद करावे।

हमने पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया तथा बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन, एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

— :आदेश: —

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सरनाऊ के खेत खसरा नम्बर 529 रकबा 4.65 हैक्टेयर में मौके एवं राजस्व की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner